न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 05/2021

अपीलान्टस

1. दिनेश कुमार
2. नरेश कुमार पुत्र प्रतापाराम जाति कोली निवासी धानोल तहसील रानीवाडा
3. बदराराम पुत्र खगाराराम जाति मेघवाल निवासी भालनी तहसील बागोड़ा जिला जालोर

रेस्पोडेण्टस

1. ग्राम पंचायत जाखड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जाखडी तहसील रानीवाडा
2. दशरथ कुमार पुत्र प्रतापाराम जाति कोली निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर

म्युटेशन अपील ग्राम पंचायत जाखडी बनाराजगी म्युटेशन संख्या 129 अस्वीकृत/खारीज दिनांक 05.01.2021

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 22.10.2021

1. अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 129 दिनांक 05.01.2021 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चारणवास तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 1540, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 रकबा क्रमश 0.05, 0.17, 0.16, 2.31, 0.10, 0.07 हेक्टेयर जूमले रकबा 2.86 हेक्टेयर सम्पूर्ण आराजी अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 का सम्पूर्ण हिस्स जरिये पंजीबद्व बैचान दस्तावेज दिनांक 12.10.2020 के कीमतन खरीद किया था। जिसके आधार पर अपीलाण्ट संख्या 3 के पक्ष में म्यूटेशन संख्या 129 दिनांक 05.12.2020 को भरा गया तथा स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत जाखडी में पेश किया गया। जेा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 05.01.2021 के जरिये अस्वीकृत/खारीज किया गया। जिससे आहत होकर अपीलाण्टस द्वारा यह अपील पर पेश कि गई है। जिसमें ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा उक्त म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज करने से पूर्व न तो मौके का कब्जा देखा गया तथा न ही अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त म्यूटेशन संख्या 129 खरीददार का मौके पर कब्जा नहीं होने तथा बाहरी व्यक्ति खरीददार होने के आधार पर गलत रूप से खारीज किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज करने में भारी कानूनी व वाक्याति भूल की है। व ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज करते वक्त अपीलाण्टस संख्या 3 के पक्ष में निष्पादीत पंजीबद्व बैचान दस्तावेज पर कोई गौर नहीं किया गया। अपीलाण्टस संख्या 3 उक्त आराजी पर [illegible] से काबिज हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा म्यूटेशन संख्या 129 को [illegible] विरूद्व तरीके से खारीज किया गया हैं। इसलिये ग्राम पंचायत जाखडी का आदेश दिनांक 05.01.2021 काबिज खारीज है। ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज करने से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा उक्त म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज करने की तमाम कार्यवाही अपीलाण्टस के पीठ पीछे की गई, जिससे अपीलाण्ट को उक्त म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज करने की जानकारी नहीं हुई। दिनांक 29.01.2021 को अपीलाण्टस हल्का पटवारी के पास उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की नकल लेने गये तो अपीलाण्टस को प्रथम बार उक्त म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज करने की जानकारी हुई। इसलिये उक्त म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज करने की जानकारी से अपीलाण्टस की अपील अंदर म्याद पेश है। विकल्प में निवेदन है कि यदि अपीलाण्टस की अपील अंदर म्याद नहीं माना जावें तो निवेदन है कि अपीलाण्टस ग्रामीण परिवेश मे रहने वाले व्यक्ति हैं तथा अपीलाण्टस अनपढ व्यक्ति हैं। इसलिये अपीलाण्टस की अपील अन्दर म्याद शुमार की जावें। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है।

2. रेस्पोडेण्टस संख्या 2 मजदूरी हेतु बाहर गांव गया हुआ होने से उसे बतौर रेस्पोडेण्टस संख्या 2 जोडा गया है तथा यह म्यूटेशन अपीलाण्टस की ओर से पेश की जा रही है। अतः अपील पेश कर निवेदन हैं कि अपीलाण्टस की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत जाखडी के आदेश दिनांक 05.01.2021 जिसके जरिये मौजा चारणवास के म्यूटेशन संख्या 129 को खारीज किया गया को अपास्त कर अपीलाण्टस संख्या 3 के पक्ष में मौजा चारणवास तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 1540, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 रकबा क्रमश 0.05, 0.17, 0.16, 2.31, 0.10, 0.07 हेक्टेयर जूमले रकबा 2.86 हेक्टेयर आराजी बाबत निष्पादीत बैचान दस्तावेज दिनांक 12.10.2020 के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

3. अपीलाण्टस की अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोडेण्टस संख्या 1 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 2 की ओर इकबालिया जवाब दिया गया जिसके अनुसार अपीलाण्टस की अपील स्वीकार कर बैचान दस्तावेज दिनांक 12.10.2020 के आधार पर म्यूटेशन स्वीकार करने के आदेश फरमावें।

4. सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील बैचान दस्तावेज के नामान्तरकरण से संबंधित है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टस को उक्त आराजी की जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने जाने पर दिनांक 29.01.2021 को हुई। ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा ना0 क0 संख्या 129 अस्वीकृत/खारीज करते समय अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा अपीलाण्टस ग्रामीण परिवेश में रहने व अनपढ है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरीत होने से अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

5. हमने अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्टस संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन व बहस के तथ्यों पर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा बैचान दस्तावेज पंजीबद्व दिनांक 12.10.2020 का अध्ययन किया, उक्त बैचान दस्तावेज में बैचानकर्त्ता ने कृषि भूमि को बैचान की गयी है, जिसमे बैचानकर्त्ता द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 11:17:58 IST
Reason: Self Attested

’’ हम दशरथकुमार, दिनेशकूमार, [illegible] पि0 [illegible] जाति कोली निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर ने [illegible] पटवार मण्डल जाखडी में स्थित

हमारी खातेदारी भूमि आराजी के नवीन खसरा नम्बर 1540, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 रकबा कमश 0.05, 0.17, 0.16, 2.31, 0.10, 0.07 हेक्टेयर जूमले रकबा 2.86 हेक्टेयर आराजी का बैचान आज रोज आप खरीददार बदराराम पुत्र खंगाराम जाति मेघवाल निवासी भालनी तहसील बागोडा जिला जालोर को बएवज रूपये 900000 रूपये में विक्रय फरोक्त कर दिया गया है। उपरोक्त बैचान की गई आराजी पर आपका कब्जा काश्त मौके पर मेरे तमाम हक हकुको सहित आज रोज से बहैसियत मालिक करवा दिया गया है। अब उक्त आराजी आपकी सम्पति है। उक्तानुसार बैचान दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 129 खोला गया जिसका अवलोकन किया। जिसके अनुसार नामान्तरण संख्या 129 दिनांक 5.12.2020 को खेला गया जिस पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.12.2020 को जांच कर बैचान दस्तावेज अनुसार इन्द्राज सही पाया की टिप्पणी की गई तथा दिनांक 05.01.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा पंचायत बैठक 05.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 4 अनूसार खरीददार का मौके पर कब्जा काश्त नही होने व बाहरी व्यक्ति खरीददार होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 129 को को अस्वीकृत/खारीज किया गया है।

6. उक्त इन्द्राज के आधार पर उक्त बैचान दस्तावेज का नामान्तरकरण अस्वीकृत/खारीज किया गया है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर कब्जे संबंधी कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया व नही अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया। तथा न हीं न्यायालय हाजा में सुनवाई हेतु उपस्थित हूआ। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 129 विधिक त्रुटि का होने से उक्त नामान्तरण संख्या 129 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

7. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 129 अस्वीकृत/खारीज दिनांक 05.01.2021 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त ना0 संख्या 129 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्र्ड बैचान दस्तावेज पंजीयन संख्या 202003439101435 दिनांक 12.10.2020 का अध्ययन कर उसके अनुरूप नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रकिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा सरे[illegible] सुनाया गया।

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.23 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा